

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

अच्छेलाल दास

बनाम

बिहार राज्य

2016 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 680

[के साथ 2016 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 783]

9 मई 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार और माननीय न्यायमूर्ति श्री हरीष कुमार)

विचार के लिए मुद्दा

- क्या अभियोजन पक्ष ने विरोधाभासों और दोषपूर्ण जाँच के बावजूद हत्या और हमले के आरोप को संदेह से परे साबित कर दिया?
- क्या विचारण न्यायालय द्वारा शेष जीवन के लिए कारावास की सजा देना उचित था?

हेडनोट्स

भारतीय दंड संहिता, 1860 - धारा 148, 149, 302, 307, 323, 324 - दोहरा हत्याकांड - अ.सा. 9 ने मृतक को खेती के लिए अपनी जमीन दी थी - मृतकों में से एक के बेटे ने आपातकालीन वार्ड में प्राथमिकी दर्ज कराई कि उसके पिता पर दो अपीलकर्ताओं सहित आरोपियों ने हमला किया, जो फरसा, भाला, चाकू, देशी पिस्तौल और अन्य तेज हथियारों से लैस थे और फिर उन पर हमला किया और लगभग दस मिनट तक लगातार हमला करते रहे, वह गंभीर रूप से घायल हो गए - सूचना देने वाले के पिता की मौके पर ही मौत हो गई, सूचना देने वाले और दो भाइयों पर भी सह-अभियुक्तों ने हमला किया और वे भी घायल हो गए।

निर्णय: शव-परीक्षण करने वाले डॉक्टर को मृतक के शरीर पर केवल एक ही मृत्यु-पूर्व चोट

का निशान मिला—अपीलकर्ताओं के विरुद्ध साक्ष्य अत्यंत असंगत और अविश्वसनीय हैं—किसी भी गवाह ने पुलिस के समक्ष यह नहीं कहा कि शोरगुल सुनने के बाद, वे घटनास्थल पर गए और मृतक या घायल व्यक्तियों पर हमला होते देखा—जांच अधिकारी द्वारा न तो रक्त से सनी मिट्टी या वस्त्र जब्त किया गया और न ही रासायनिक परीक्षण के लिए एफएसएल को भेजा गया—जांच अधिकारी को घटनास्थल पर हमले का कोई साक्ष्य नहीं मिला, जबकि उसी स्थान पर दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनकी अंततः मृत्यु हो गई और तीन अन्य को सामान्य चोटें आई थीं—अभियोजन पक्ष मामले को पूरी तरह से अर्थात् सभी उचित संदेहों से परे साबित नहीं कर पाया—दोनों अपीलें स्वीकार की गईं—दोनों अपीलकर्ताओं के विरुद्ध निर्णय और दोषसिद्धि का आदेश रद्द किया गया—अपीलकर्ताओं को उनके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।

(कंडिका 24, 41, 46, 60)

न्याय दृष्टान्त

भारत संघ बनाम श्रीहरन उर्फ मुरुगन और अन्य, (2016) 7 एससीसी 1; विकाश चौधरी बनाम दिल्ली राज्य, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 472; बचन सिंह बनाम भारत संघ; (1980) 2 एससीसी 684; मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य; (1983) 3 एससीसी 470; संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2009) 6 एससीसी 498; शंकर किशनराव खाड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य; (2013) 5 एससीसी 546; स्वामी श्रद्धानंद उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा बनाम कर्नाटक राज्य, (2008) 13 एससीसी 767; गोपाल विनायक गोडसे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1961) 3 एससीआर 440; दलबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1979) 3 एससीसी 745; सुभाष चंदर बनाम कृष्ण लाल, (2001) 4 एससीसी 458; श्री भगवान बनाम राजस्थान राज्य, (2001) 6 एससीसी 29; मध्य प्रदेश राज्य बनाम रतन सिंह, (1976) 3 एससीसी 470; संगीत एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य, (2013) 2 एससीसी 452; विकाश चौधरी बनाम दिल्ली राज्य, (2023) एससीसी ऑनलाइन एससी 472- भरोसा किया गया।

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860

मुख्य शब्दों की सूची

दोहरा हत्याकांड; शव-परीक्षण; प्राथमिकी; मृतक; भूमि विवाद; गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियां; दुर्लभतम श्रेणी; अपराध की गंभीरता के विरुद्ध आजीवन कारावास का विकल्प अनुपयुक्त माना जाना; एफएसएल, रासायनिक परीक्षण।

प्रकरण से उत्पन्न

थाना कांड संख्या-811 वर्ष-2013 थाना-सीतामढ़ी जिला-सीतामढ़ी.

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

(2016 की आपराधिक अपील(खं.पी.) संख्या 680 में)
 अपीलकर्ता/ओं के लिए: श्री उमाशंकर प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता
 उत्तरदाता/ओं के लिए: श्री अभिमन्यु शर्मा, स.लो.अ.
 (2016 की आपराधिक अपील(खं.पी.) संख्या 783 में)
 अपीलकर्ता/ओं के लिए: श्री प्रतीक मिश्रा, (न्यायमित्र)
 उत्तरदाता/ओं के लिए: श्री शशि बाला वर्मा, स.लो.अ.

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2016 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.680

थाना काण्ड संख्या-811 वर्ष-2013 थाना-सीतामढ़ी जिला-सीतामढ़ी से उद्भूत

=====

अच्छेलाल दास, पिता-बिकाऊ दास, निवासी- गाँव-पामरा, थाना-सीतामढ़ी, जिला-सीतामढ़ी।

... ..अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

..... उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2016 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 783

थाना काण्ड संख्या-811 वर्ष-2013 थाना-सीतामढ़ी जिला-सीतामढ़ी से उद्भूत

=====

राम दयाल दास, पिता-स्वर्गीय जगदीश दास, निवासी- गाँव-परमा, थाना-सीतामढ़ी, जिला-सीतामढ़ी

... ..अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

.....उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति :

(2016 की आपराधिक अपील(खं.पी.) संख्या 680 में)

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री उमाशंकर प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री अभिमन्यु शर्मा, स.लो.अ.

(2016 की आपराधिक अपील(खं.पी.) संख्या 783 में)

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री प्रतीक मिश्रा, (न्यायमित्र)

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री शशि बाला वर्मा, स.लो.अ.

=====

गणपूर्ति: माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री हरीश कुमार

मौखिक निर्णय

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार)

दिनांक: 09-05-2023

1. दोनों अपीलों पर एक साथ विचार किया गया है तथा उनका निपटारा इस सामान्य निर्णय द्वारा किया जा रहा है।
2. श्री उमाशंकर प्रसाद, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, अपीलकर्ता/अच्छेलाल की ओर से 2016 की आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 680 में पेश हुए हैं।
3. आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 783/2016 में अपीलकर्ता/राम दयाल दास की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए, हमने एक न्यायमित्र नियुक्त करना आवश्यक समझा। हमने विद्वान अधिवक्ता श्री प्रतीक मिश्रा से हमारी सहायता करने का अनुरोध किया था, जिस पर उन्होंने तुरंत सहमति व्यक्त की और हमें अच्छी सहायता प्रदान की।
4. राज्य का प्रतिनिधित्व विद्वान स.लो.अ. श्री बिनोद बिहारी सिंह ने किया।
5. दोनों अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 302, 307, 323 और 324 के तहत दोषी ठहराया गया है और धारा 149 की सहायता से उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है और जुर्माना न चुकाने पर छह महीने के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है भा.दं.सं. की धारा 302/149 के तहत अपराध के लिए; सात साल के लिए कारावास, 10,000 रुपये का जुर्माना और जुर्माना न चुकाने पर तीन महीने के लिए कारावास की

सजा सुनाई गई है भा.दं.सं. की धारा 307/149 के तहत अपराध के लिए; तीन साल के लिए कारावास की सजा दी गई है भा.दं.सं. की धारा 324/149 के तहत अपराध के लिए, एक साल के लिए कारावास की सजा दी गई है भा.दं.सं. की धारा 323/149 के तहत अपराध के लिए और; भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के तहत अपराध के लिए दो साल की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएँ एक साथ चलने का निर्देश दिया गया है।

6. बताया जा रहा है कि इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई। अर्थात्, दशरथ दास और उनके पुत्र दिनेश दास। मृतक/दशरथ दास के बेटों में से एक महेश दास (अ.सा.11) द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है। उनके अलावा अभियोजन पक्ष की ओर से बारह अन्य गवाहों से पूछताछ की गई है। बचाव पक्ष की ओर से दो लोगों से भी पूछताछ की गई है। हालांकि, प्राथमिकी में कई व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, लेकिन केवल अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के संबंध में, जाँच को लंबित रखा गया था।

7. महेश दास (अ.सा.11) ने सीतामढ़ी के सदर अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में 01.09.2013 को दर्ज कराई गई प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि उसके पिता दशरथ दास को शाम लगभग 07:00 बजे बिकाऊ दास नामक व्यक्ति द्वारा गाली-गलौज की जा रही थी। उसके पिता उसके पास गए और उसे गाली-गलौज करने से मना किया। दोनों अपीलकर्ताओं सहित सभी अभियुक्तों ने, विभिन्न प्रकार के हथियारों से लैस होकर, फरसा, भाला, चाकू, देशी पिस्तौल और अन्य धारदार हथियारों से उस पर हमला कर दिया और लगभग दस मिनट तक लगातार उस पर हमला करते रहे, जिसके परिणामस्वरूप वह गंभीर रूप से घायल हो गया। शोर-शराबे पर, महेश दास (अ.सा.11) अपने बड़े भाई नरेश दास (अ.सा.8) और अपने छोटे भाई दिनेश दास (अब

मृतक) के साथ उमेश दास (अ.सा.3) के साथ उसे बचाने आए। अ.सा. 11 सहित सभी लोगों पर भी हमला किया गया। अपीलकर्ता/अच्छेलाल दास ने दिनेश दास (मृतक) के अंडकोष पर *भाला* से वार किया। एक अन्य आरोपी ने उसकी छाती पर चाकू से वार किया। उसे और उमेश दास (अ.सा. 3) पर गुड्डू दास ने हमला किया, जिससे दोनों घायल हो गए। नरेश दास (अ.सा. 8) पर भी सह-आरोपी रामेश्वर दास ने लाठी से हमला किया, जिससे वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचक (अ.सा. 11) को भी छाती पर *भाला* लगने से चोट लगी बताई गई है जिस हमले का श्रेय सह-आरोपी भजन दास को दिया गया है।

8. दशरथ दास की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और उनके तीन बेटे, जिनमें अ.सा. 11 भी शामिल है, घायल हो गए। जैसे ही गाँव के लोग पहुँचे, आरोपी भाग गए। ग्रामीणों की मदद से मृतक दिनेश दास (उस समय तक जीवित) और अ.सा. 3 और 11 को इलाज के लिए सीतामढ़ी के सदर अस्पताल ले जाया गया। दिनेश दास की हालत गंभीर होने पर उसे मुजफ्फरपुर के एस.के.एम.सी.एच. रेफर कर दिया गया। अ.सा.संख्या 11 और उसके छोटे भाई उमेश दास (अ.सा. 3) का इलाज सीतामढ़ी के सदर अस्पताल में हुआ।

9. मृतक को मृत घोषित कर दिया गया और प्रयास किए गए उनके शव को शव-परीक्षण के लिए भेजने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने के समय। प्राथमिकी में वर्णित घटना का कारण यह है कि दिल्ली में रहने वाले राजदेव दास (आरोपी भजन दास के भाई) ने अ.सा.11 और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा जुताई के लिए अपनी जमीन दी थी, जिससे भजन दास और उसके सहयोगी नाराज हो गए थे। कहा जाता है कि एक घटना पहले भी हुई थी, जिसके लिए पक्षों के बीच मामला दर्ज किया गया था।

10. इस तरह के घटनाक्रम से व्यथित होकर, दशरथ दास (मृतक) को जानबूझकर

गाली-गलौज की गई क्योंकि वे उसे बिकाऊ दास के घर आने के लिए मजबूर कर रहे थे ताकि उसे गाली-गलौज करने से मना कर सकें। एक पूर्व नियोजित योजना के तहत, अपीलकर्ताओं सहित सभी आरोपियों ने दशरथ दास पर हमला किया और उसे मार डाला। दिनेश दास गंभीर रूप से घायल हो गया। अंततः उसकी मृत्यु हो गई और परिवार के दो अन्य सदस्य, अ.सा.3 और 11, भी घायल हो गए।

11. भारतीय दंड संहिता की धारा 147,148,149,323,324,307,302 और 504 के तहत अपराधों की जांच के लिए 2013 का सीतामढ़ी थाना काण्ड संख्या 811, लाल बहादुर यादव, ए.एस.आई. द्वारा दर्ज किए गए पूर्व उल्लिखित फरबेयान बयान के आधार पर शुरू किया गया था।
12. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पुलिस ने जांच के बाद केवल दो अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया और जबकि अन्य के संबंध में जांच लंबित रखी गई थी।
13. मुकदमे में, अ.सा.11 (सूचक) ने अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन किया, लेकिन उसकी गवाही कमियों से मुक्त नहीं है। उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि 1 सितंबर, 2013 की शाम लगभग 7:00 बजे, जब उसके पिता (मृतक) राजदेव दास के घर के सामने सड़क पर खड़े थे, उसने और उसके भाइयों ने किसी को अपने पिता को गाली देते सुना। उसने देखा कि भजन दास हाथ में भाला लिए घटनास्थल पर मौजूद था, और सज्जन दास भी भाला लिए हुए था। पप्पू दास, असमानी उर्फ अश्वनी, इंगलेश दास और बिकाऊ दास क्रमशः चाकू, लाठी और लोहे की रॉड लिए हुए थे। अपीलकर्ता/अच्छेलाल दास हाथ में *भाला* लिए हुए था, जबकि अपीलकर्ता/राम दयाल दास लाठी लिए हुए था। अ.सा.11 के बयान में अपीलकर्ताओं सहित सभी अभियुक्तों को विशिष्ट हथियार दिए जाने का आरोप लगाया गया है। उस समय, सह-अभियुक्त भजन

दास ने कहा था कि चूँकि दशरथ दास ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था, इसलिए उसे मार दिया जाना चाहिए। इस उकसावे पर, सभी अभियुक्तों ने मृतक/दशरथ दास पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जब अ.सा.11 अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपने पिता को बचाने गया, तो भजन दास ने अ.सा.11 पर *भाले* से हमला किया। कृष्णनंदन दास, रामेश्वर दास और अपीलकर्ता/राम दयाल पर भी अ.सा.11 पर हमला करने का आरोप है। सह-अभियुक्त बिकाऊ दास ने दिनेश (दूसरे मृतक) पर खंजर से हमला किया, जबकि अपीलकर्ता/अच्छेलाल दास ने दिनेश पर *भाले* से हमला किया। उमेश दास और नरेश दास, क्रमशः अ.सा.3 और 8, पर भी हमला किया गया।

14. इस प्रकार, यह पाया गया है कि जिस तरीके से प्राथमिकी में घटना होने का वर्णन किया गया था, उसे अ.सा. 11 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपने बयान में पूरी तरह से पुष्टि नहीं की गई है।

15. प्रतिपरीक्षण में, अ.सा.11 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दिनेश, जिसकी अंततः मृत्यु हो गई थी, पर बिकाऊ दास, अपीलकर्ता/अच्छेलाल दास, सह-आरोपी कारी दास और गुड्डू दास ने हमला किया था। कहा जाता है कि अपीलकर्ता/अच्छेलाल दास ने दिनेश पर *भाला* से हमला किया था। मृतक/दशरथ पर हमले के संबंध में, अपीलकर्ताओं में से किसी को भी या किसी भी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ उस मामले में कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दी गई है। अपनी प्रतिपरीक्षण के दौरान, उसने स्पष्ट रूप से कहा कि बिकाऊ दास के घर के सामने कोई घटना नहीं हुई और अपीलकर्ता/राम दयाल दास एक वृद्ध और बहरा व्यक्ति है। अपीलकर्ता/अच्छेलाल दास के संबंध में, अ.सा. 11 ने विचारण न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया है कि उसका राजदेव दास की ज़मीन पर खेती से कोई लेना-देना नहीं था, जो इस घटना का कारण था क्योंकि

बिकाऊ दास (राजदेव दास का भाई) इस बात से खुश नहीं था कि राजदेव दास की ज़मीन पर अ.सा. 11 का परिवार और मृतक व्यक्ति जोत रहे थे। वास्तव में, अ.सा. 11 ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसकी अपीलकर्ता/अच्छेलाल दास के खिलाफ अतीत में कोई शिकायत नहीं थी।

16. नरेश दास (अ.सा.8) की पत्नी मालती देवी (अ.सा.2) ने घटना के समय मौजूद होने का दावा किया है और मृतक और घायल व्यक्तियों पर हमले के संबंध में अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन किया है। लेकिन उसका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया कि जब उससे पहली बार पूछताछ की गई थी तो उसने पुलिस के सामने ऐसा बयान नहीं दिया था। कहा जाता है कि घटना के 2-3 दिन बाद जब पुलिस उसके घर आई तो उसने पुलिस के सामने बयान दिया। वह यह दावा नहीं करती है कि आरोपी व्यक्तियों में से किसी ने भी उस पर हमला किया है।

17. उमेश दास और नरेश दास, दो घायल व्यक्ति, जिनकी क्रमशः अ.सा. 3 और 8 के रूप में जाँच की गई है, ने अभियोजन पक्ष के कथन का समर्थन किया है, लेकिन अपीलकर्ताओं के विरुद्ध आरोपों के विवरण पर वे सुसंगत नहीं रहे हैं।

18. उमेश दास (अ.सा.3) ने विशेष रूप से यह नहीं बताया है कि दशरथ पर हमला किसने किया। दिनेश के संबंध में, वह अपीलकर्ता/अच्छेलाल दास के खिलाफ निश्चित आरोप के साथ सामने आया है। उन्होंने यह भी कहा है कि हमले के कारण दशरथ दास की मौके पर ही मौत हो गई। उन्हें, दशरथ दास और अ.सा.11 को इलाज के लिए सीतामढ़ी के सदर अस्पताल लाया गया, जहां से दिनेश को मुजफ्फरपुर के एस.के.एम.सी.एच. और उसके बाद पी.एम.सी.एच. रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही दिनेश की मौत हो गई।

19. अपनी प्रतिपरीक्षण में, उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उनके द्वारा दर्ज

किए गए पहले के मामले में, अपीलकर्ता/राम दयाल दास और अच्छेलाल दास को आरोपी व्यक्ति नहीं बनाया गया था। परिवार का पूर्व उल्लिखित अपीलकर्ताओं के साथ कोई विवाद नहीं था। वह उस स्थान पर हथियारबंद नहीं गया था जहाँ दशरथ दास के साथ दुर्व्यवहार और हमला किया जा रहा था।

20. प्रतिपरीक्षा के दौरान भी, उन्होंने सामान्य बयान दिया है कि आरोपी व्यक्तियों ने दशरथ दास पर हमला किया। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि केवल गुड्डू ही फरसा से लैस था, जिसने उन पर हमला किया और उन्हें घायल कर दिया क्योंकि वह उपरोक्त हमले को रोक नहीं सके। उनके अनुसार, यह घटना लगभग दस मिनट तक चली और सभी पीड़ितों पर एक साथ हमला किया गया। घटना के नौ दिन बाद पुलिस ने उनसे पहली बार पूछताछ की।

21. इसी तरह, अ.सा.8 का दावा है कि वह गाली-गलौज और मदद की आवाज़ सुनकर घटना स्थल पर पहुंच गया है। हालांकि, उन्होंने दशरथ दास पर हमले के संबंध में अधिक विशिष्ट बयान दिया है। दिनेश के शव के साथ वापस आने के बाद ही पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया। उन्होंने आगे कहा कि उन पर हमले के कारण, वह बेहोश हो गए थे और प्रारंभिक उपचार के बाद ही, वह होश में आ सके, लेकिन 3 से 4 घंटे के बाद ही।

22. शिव शंकर दास, पृथ्वी दास, रामबरन दास और राजदेव दास जैसे स्वतंत्र व्यक्तियों से अ.सा. 4, 5, 6 और 9 के रूप में पूछताछ की गई है। इनमें से अ.सा. 4 और 5 को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है, जबकि अ.सा. 6 ने घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा किया है। वह महेश दास (अ.सा. 11) का चचेरा भाई है। पुलिस के समक्ष उसके पहले दिए गए बयान की ओर उसका ध्यान आकर्षित किया गया और अनुसंधान अधिकारी (अ.सा. 13) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अ.सा. 6 ने उसके समक्ष कभी भी

घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा नहीं किया। वास्तव में, अ.सा. 6 ने पुलिस के समक्ष कहा कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो दशरथ दास पहले ही जमीन पर गिरे हुए थे और उनका बेटा, जो घायल था, मदद के लिए चिल्ला रहा था। उसने पुलिस के समक्ष कभी यह दावा नहीं किया कि आरोपियों ने उस पर भी हमला किया था।

23. राजदेव दास (अ.सा. 9) घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा नहीं करता है, बल्कि उसने केवल इतना कहा है कि जहाँ तक उसे याद है, मृतक/दशरथ दास को भी अभियुक्तों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई थी और दशरथ दास ने सीआरपीसी की धारा 107 के तहत कार्यवाही शुरू की थी। दोनों पक्षों के बीच पहले भी एक विवाद हुआ था, जिसमें उमेश दास (अ.सा. 3) के सिर पर फरसा से हमला किया गया था। उसने दुश्मनी का कारण यह बताया है कि उसने अपनी ज़मीन मृतक और अ.सा. 11 के परिवार को खेती के लिए दे दी थी, जो उसके अपने भाई/भजन दास को पसंद नहीं थी।

24. मृतक/दशरथ दास का शव-परीक्षण डॉक्टर सी.बी. प्रसाद (अ.सा. 7) द्वारा किया गया था, जिन्होंने गवाही दी थी कि उन्होंने दशरथ दास का शव-परीक्षण 01.09.2013 को रात 11:30 बजे उचित प्रकाश व्यवस्था में किया था। शव-परीक्षण उचित प्रकाश व्यवस्था में किया गया था। उन्हें पेट के क्षेत्र में एक घाव मिला था जो गुहा में गहरा था। हालांकि, ऐसी चोट केवल एक टांका हटाने के बाद ही पता चली। आंत का हिस्सा छिद्रित पाया गया था। उन्होंने मृत्यु का समय शव-परीक्षण जांच के 24 घंटे के भीतर होने का अनुमान लगाया है। उनके अनुसार, मृत्यु रक्तस्राव और सदमे के कारण हुई जिससे हृदय गति रुक गई। चोटें भाला और चाकू जैसे धारदार और नुकीले हथियारों से लगी पाई गई। उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतक/दशरथ दास के शरीर पर केवल एक ही पूर्व-मृत्यु चोट थी।

25. दूसरे मृतक/दिनेश दास का शव-परीक्षण डॉक्टर राजेश कुमार (अ.सा. 1) ने किया, जिन्होंने पाया कि उसके शरीर पर दो बाहरी चोटें थीं। एक उसके माथे के बाईं ओर एक सिलना हुआ घाव था और दूसरा पेट के बाईं ओर, लेकिन नाभि के किनारे से नीचे, सिलना हुआ घाव था। यहाँ भी, समय अंतराल 24 घंटे तय किया गया था और मृत्यु का कारण भी रक्तस्राव और सदमे के कारण हृदय गति रुकना बताया गया था। हालांकि, अ.सा. 1 ने कहा है कि दिनेश दास के शरीर पर मृत्यु-पूर्व चोटें किसी कठोर और कुंद पदार्थ या धारदार काटने वाले औजार से भी हो सकती हैं।
26. डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव (अ.सा.10) ने उमेश दास (अ.सा.3) और महेश दास (अ.सा.11) की जांच की है, जिनमें से दोनों को एक-एक चोट लगी है जो चीरे के घाव की प्रकृति में थी। अभिलेख पर नरेश दास की कोई चोट की प्रतिवेदन नहीं है, जिसे घायल गवाहों में से एक भी कहा जाता है।
27. इस मामले के आई.ओ. संतोष कुमार से अ.सा.13 के रूप में पूछताछ की गई है, जिन्हें संबंधित समय पर सीतामढ़ी जिले में पुनौरा ओ.पी. के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 1 सितंबर 2013 की देर रात इस मामले की जांच का प्रभार दिया गया था। उन्हें टेलीफोन पर यह भी बताया गया कि गाँव पामरा में दोनों पक्षों के बीच एक घटना हुई है। इस तरह की जानकारी पर, वह प्रभु दयाल सिंह (जांच नहीं कराई गई) के साथ सीतामढ़ी के सदर अस्पताल पहुंचने का दावा करता है। अस्पताल में, उन्हें ए. एस. आई. लाल बहादुर यादव (जांच नहीं की गई) मिले, जिन्होंने अ.सा.11 के फर्दबयान को अभिलेख किया था। उनकी उपस्थिति में, फर्दबयान को अ.सा.11 को पढ़ा गया, जिसके बाद उन्होंने उमेश दास (अ.सा.3) के साथ उस पर अपने हस्ताक्षर किए। उन्होंने फर्दबयान की पहचान की थी(प्रदर्श-4)। कहा जाता है कि पूछताछ केवल ए.एस.आई. लाल बहादुर यादव द्वारा तैयार की गई थी। अ.सा.11 के

फर्दबयान को विशेष दूत द्वारा सीतामढ़ी थाना भेजा गया, जहाँ औपचारिक प्राथमिकी (प्रदर्श-6) दर्ज किया गया और अ.सा. 13 को जांच सौंपी गई। औपचारिक प्राथमिकी ए.एस.आई. राजकिशोर प्रसाद की लिखावट में लिखा गया था और उसी पर सीतामढ़ी थाना के प्रभारी अधिकारी बिमल कुमार सिंह द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।

28. अ.सा. 13 के अनुसार, घटनास्थल राजदेव दास के घर के सामने वाली ईंटों वाली सड़क है। आरोपी बिकाऊ दास का घर भी पास में ही है। अ.सा. 13 को रात में पता चला कि एक घटना घटी थी जब दशरथ दास (मृतक) के साथ अभियुक्त बिकाऊ दास ने दुर्व्यवहार किया था और दशरथ दास ने बिकाऊ दास को दुर्व्यवहार करने से रोकने की कोशिश की थी। 03.09.2013 को अ.सा. 13 को टेलीफोन पर पता चला कि इस मामले के मृतकों में से एक, दिनेश दास की पी.एम.सी.एच. ले जाते समय मृत्यु हो गई थी, जहाँ उसे एस.के.एम.सी.एच. से बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया था। इस सूचना पर, वह प्रभु दयाल सिंह के साथ फिर से सीतामढ़ी अस्पताल पहुँचा जहाँ उसकी मुलाकात ए.एस.आई./मिथिलेश कुमार सिंह से हुई, जो मृतक (दिनेश दास) के शव-परीक्षण की व्यवस्था कर रहे थे। उपरोक्त ए.एस.आई./मिथिलेश कुमार सिंह ने उन्हें केवल यह बताया कि नरेश दास/मृतक (दिनेश दास) के एक भाई का बयान उनके द्वारा दर्ज किया गया था। संयोग से, ए.एस.आई. मिथिलेश कुमार सिंह से पूछताछ नहीं की गई है। हालांकि, अ.सा. 13 ने नरेश दास के बयान की पहचान की थी, जिसे ए.एस.आई. मिथिलेश कुमार सिंह (प्रदर्श 4/1) द्वारा दर्ज किया गया था। उन्होंने 3 सितंबर 2013 के बाद नरेश दास, नगीना देवी (जिनकी परीक्षा नहीं हुई) और मालती देवी (अ.सा. 2), राजदेव दास (अ.सा. 9) और उमेश दास (अ.सा. 3) के बयान दर्ज किए थे। उन्होंने केवल अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया था, अन्य आरोपियों के खिलाफ जाँच लंबित रखते हुए। उन्होंने घटनास्थल पर कुछ भी आपत्तिजनक पाए जाने का दावा नहीं किया है। उन्होंने घटनास्थल से कोई फिंगरप्रिंट

नहीं लिए और न ही हमले के हथियार या घायलों के खून से सने मिट्टी या खून से सने कपड़ों को जब्त करने का कोई प्रयास किया। पूरी जाँच के दौरान, उन्हें इस मामले के अलावा अपीलकर्ता/अच्छेलाल दास के खिलाफ कोई आरोप नहीं मिला। हालांकि, अ.सा. 11 ने उन्हें बताया था कि ज़मीन के एक हिस्से पर खेती को लेकर कुछ विवाद था, लेकिन उन्होंने इस संबंध में कभी कोई जाँच नहीं की।

29. बचाव पक्ष के दो गवाहों के पास केवल इस तथ्य की गवाही दी कि अपीलकर्ता/अच्छेलाल दास कश्मीर में एक आकस्मिक मजदूर के रूप में काम करते थे, लेकिन इन दोनों में से किसी भी व्यक्ति ने अपीलकर्ता/अच्छेलाल दास के कश्मीर से अपने गाँव पमरा आने की किसी निश्चित तारीख के बारे में कुछ नहीं कहा है, जहाँ घटना घटी बताई गई है।

30. श्री उमा शंकर प्रसाद, अपीलकर्ता/अच्छेलाल दास के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री प्रतीक मिश्रा, अपीलकर्ता/राम दयाल दास के विद्वान न्यायमित्र ने तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष मामले को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में सक्षम नहीं है। वास्तव में, सबसे पहले यह इंगित किया गया था कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को उनके शेष जीवन के लिए सजा सुनाने में अपने संक्षिप्त विवरण को पार कर लिया जो उनकी शक्तियों के भीतर नहीं था। एक सत्र न्यायालय उसके समक्ष उपलब्ध दो विकल्पों, अर्थात् मृत्यु या जीवन के लिए आर. आई. (433 दं.प्र.सं.) से परे धारा 302 भा.दं.सं. के तहत सजा पारित नहीं कर सकता है। यह भी तर्क दिया गया है कि भारत संघ बनाम श्रीहरन उर्फ़ मुरुगन एवं अन्य 2016 (7) एससीसी 1, और विकास चौधरी बनाम दिल्ली राज्य; 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 472 में, यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि तीसरे प्रकार की सजा, यानी बिना किसी छूट के 14 वर्ष से अधिक की निश्चित अवधि के लिए कारावास, केवल उच्च संवैधानिक न्यायालयों के

पास ही उपलब्ध है, न कि विचारण न्यायालयों के पास।

31. पूर्व-उल्लिखित विराम के साथ, दोनों विद्वान अधिवक्ता हमें गवाहों के बयान पर ले गए हैं और आग्रह किया है कि सामग्री विवरणों के संबंध में, सूचना देने वाले (अ.सा.11) सहित अभियोजन पक्ष के गवाह बिल्कुल भी सुसंगत नहीं रहे हैं। प्राथमिकी की घटना और दाखिल करने के बीच एक जम्हाई का अंतर प्रतीत होता है। इस तरह के निवेदन को मजबूत करने के लिए, दोनों विद्वान अधिवक्ताओं ने बताया है कि प्राथमिकी एक ए. एस. आई. द्वारा दर्ज किया गया था, जिसकी मुकदमे में जांच नहीं की गई है। यह भी बताया गया है कि मृतक में से एक, अर्थात् दशरथ दास के शव का पोस्टमार्टम घटना के दिन रात 11.30 पर किया गया था, जब डॉक्टर को उसके व्यक्ति पर केवल एक पूर्व-शव परीक्षण चोट मिली थी, जिसे सिलवाया गया था। यह निष्कर्ष पूर्व-अनुमान लगाता है कि मृतक को शव-परीक्षण किए जाने से पहले चिकित्सा सहायता की पेशकश की गई थी। यह कहाँ और कब हुआ? यह चश्मदीद गवाहों सहित गवाहों के बयान की सत्यता को पूरी तरह से झुठलाता है कि मृतक दशरथ दास की मृत्यु उस पर हुए हमले के कारण तत्काल हुई, यानी राजदेव दास के घर के सामने ईंटों वाली सड़क पर। उसे कब चिकित्सा सहायता प्रदान की गई, यह प्रासंगिक है क्योंकि शव-परीक्षण घटना वाले दिन ही रात के लगभग 11.30 बजे किया गया था। जब तक अभियोजन पक्ष यह नहीं दिखाता कि मृतक का प्रारंभिक उपचार किया गया था, तब तक यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि गवाहों के बयान में वर्णित सभी घटनाएँ एक के बाद एक हुईं। इससे निश्चित रूप से घटना का समय पीछे चला जाता है।
32. यह तर्क दिया गया है कि, अ.सा.2 ने उस घटना को नहीं देखा है जो इस तथ्य से स्पष्ट हो जाएगा कि घटना के तीन दिन बाद जब उसका बयान दर्ज किया

गया था तो उसने कभी भी पुलिस के सामने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। वह न तो घायल हुई और न ही उसने विचारण न्यायालय के सामने यह बताया कि वह कैसे बच पाई उन लुटेरों की नज़र से, जो सभी हथियारबंद थे और जिन्होंने मृतक (दशरथ दास) के परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं बख्शा, जो उस पर हमला होने पर उसे बचाने गए थे।

33. इसी तरह, सभी स्वतंत्र व्यक्तियों ने घटना को देखने का दावा नहीं किया है क्योंकि वे हमला खत्म होने के बाद ही घटना स्थल पर पहुंचे थे।

34. घटना कब हुई यह भी अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं किया गया है।

35. अपीलकर्ताओं का कहना है कि इस कारण से कि पुलिस और अ.सा. 13 द्वारा कोई खून से सने कपड़े या मिट्टी जब्त नहीं की गई थी, आई. ओ. ने इसके लिए पूछना आवश्यक नहीं समझा क्योंकि उन्हें घटना स्थल पर कभी भी कोई आपत्तिजनक पदार्थ नहीं मिला, जिसे उन्होंने घटना की रात और उसके बाद दिन में देखा था। जाँच के दौरान हमले का हथियार भी नहीं मिला और न ही उसे जब्त किया गया। इस मुद्दे पर उलझन तब और बढ़ गई जब डॉक्टर/सी.बी. प्रसाद/अ.सा. 7 ने मृतक/दशरथ दास के शरीर पर केवल एक ही चोट पाई, जिसका पता भी एक टॉके को हटाने के बाद ही चल सका। प्राथमिकी में दर्ज विशिष्ट आरोप और अ.सा. 11 व अन्य गवाहों के बयानों की पृष्ठभूमि में, जिसमें बताया गया है कि हमला लगभग 10 मिनट तक जारी रहा और सभी आरोपियों ने मृतक/दशरथ दास पर हमला किया, मौजूदा सामग्री और आरोपों में यह बड़ा अंतर इस मामले को बेहद संदिग्ध बनाता है।

36. विद्वान अधिवक्ताओं का तर्क है कि तीन व्यक्तियों पर दो मौतें और चोटें आई हैं लेकिन घटना में अपीलकर्ताओं की भागीदारी संदिग्ध हो जाती है। घायल व्यक्तियों और मृतक और दो अपीलकर्ताओं में से किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। दोनों

अपीलकर्ता राजदेव दास या बिकाऊ दास की भूमि से बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजदेव दास ने अपनी भूमि मृतक व्यक्तियों के परिवार को खेती के लिए दी थी।

37. अगर इस सब से कोई आहत था, तो वे आरोपी बिकाऊ और भजन थे, अपीलकर्ता नहीं। इसी कड़ी में, यह तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता/ अच्छेलाल दास का कोई आपराधिक प्रवृत्ति या झुकाव नहीं है और अच्छेलाल दास लगभग 70 वर्ष के बधिर व्यक्ति हैं। इसके अतिरिक्त, इस तरह के हमले का आरोप इतने सारे आरोपियों पर लगाया गया है, जिनमें से किसी ने भी, दो अपीलकर्ताओं को छोड़कर, अब तक मुकदमे का सामना नहीं किया है, मृत्यु-पूर्व चोटों का स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता।

38. मृतक और अन्य घायल व्यक्तियों को जिस तरह की पूर्व-शव परीक्षण चोटें लगी हैं, उससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि घटना के बारे में सूचना देना सही नहीं है, विशेष रूप से जहां तक अपीलकर्ताओं का संबंध है।

39. पक्षकारों के बीच कहीं न कहीं कोई घटना हो सकती थी, दुर्भाग्य से दो की मृत्यु हो गई और तीन घायल हो गए, लेकिन अपीलकर्ताओं के संबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं होने के कारण, निचली अदालत के लिए यह अत्यधिक असुरक्षित था कि उसने अपीलकर्ताओं को आई. पी. सी. की धारा 302 और अन्य धाराओं के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई और उनके शेष जीवन तक उनके कारावास का निर्देश दिया।

40. इन आधारों पर, यह तर्क दिया गया है कि विचारण न्यायालय ने मामले पर एक विकृत दृष्टिकोण अपनाया है और केवल गवाहों के साक्ष्य में तथाकथित "संगति" पर ही विचार किया है कि अपीलकर्ताओं सहित सभी अभियुक्तों ने हमले में भाग लिया था जिसके परिणामस्वरूप दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई और तीन घायल हुए। विद्वान न्यायमित्र श्री प्रतीक मिश्रा ने दिनेश दास की मृत्यु के कारण के बारे में विशिष्ट

उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जिन पर विशेष रूप से आरोप लगाया गया है कि अपीलकर्ता/रामदयाल दास ने उनके अंडकोष में भाला डालकर हमला किया था। अभियोजन पक्ष का सुसंगत मामला यह है कि अपीलकर्ता/रामदयाल दास के अलावा, दिनेश दास पर अन्य लोगों ने भी हमला किया था। डॉक्टर राजेश कुमार (अ.सा. 1) को मृतक की कमर में किसी भी प्रकार की कोई चोट नहीं मिली; बल्कि नाभि के नीचे केवल एक चोट (सिलाई वाला घाव) मिली जिसने अंदरूनी अंगों को छेद दिया था। इसलिए, यह चोट किसने लगाई, यह अभी भी अस्पष्ट है।

41. अपीलकर्ताओं की ओर से पूर्वोक्त तर्कों के विपरीत, राज्य के विद्वान वकील ने दलील दी है कि विचारण न्यायालय ने गवाहों के सुसंगत साक्ष्य, तीन डॉक्टरों के साक्ष्य को ध्यान में रखा; जिनमें से दो ने दो मृत व्यक्तियों का शव-परीक्षण किया था, जबकि तीसरे ने तीन घायल व्यक्तियों की जाँच की थी और अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। अपीलकर्ताओं द्वारा गवाहों के बयानों में बताई गई विसंगतियाँ बहुत मामूली हैं, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला किसी भी तरह से संदिग्ध नहीं हो सकता। यह भी दलील दी गई है कि घटना के तुरंत बाद, मामले की सूचना दी गई और जाँच शुरू हुई। बातचीत या परामर्श के लिए कोई समय नहीं था। इसके अलावा, राज्य की ओर से यह दलील दी गई है कि एक ही लेन-देन में दो व्यक्तियों, जो क्रमशः पिता और पुत्र हैं, की हत्या स्पष्ट रूप से अपीलकर्ताओं के इरादे को दर्शाती है, जो हमला करने के लिए घटनास्थल पर हथियारों से लैस होकर आए थे। इस घटना के पीछे एक योजना थी क्योंकि मृतक दशरथ को गाली-गलौज से उकसाया गया था, जिसके चलते वह एक आरोपी के घर आया था और उसे गाली-गलौज करने से मना किया। यह उसी समय हुआ जब अपीलकर्ताओं सहित सभी आरोपी उस पर टूट पड़े। इससे बेहतर सबूत और क्या हो सकता है कि राज्य इस मामले में अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने और सजा सुनाने के लिए एक प्रश्न प्रस्तुत करे।

42. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद, हम पाते हैं कि अपीलकर्ताओं के विरुद्ध साक्ष्य अत्यंत असंगत और अविश्वसनीय हैं। हम ऐसा निम्नलिखित कारणों से कह रहे हैं:-

(I) हमला 01.09.2013 को लगभग शाम 7 बजे हुआ; प्राथमिकी उसी दिन रात 10.30 बजे सीतामढ़ी अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में दर्ज की गई। मृतकों में से एक, दशरथ का शव-परीक्षण रात 11.30 बजे किया गया। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि मृतक/दशरथ, उसका बेटा (दिनेश), जिसकी बाद में दो दिन बाद मृत्यु हो गई और तीन अन्य को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था। दशरथ को मृत अवस्था में लाया गया था। दशरथ का शव-परीक्षण करने वाले डॉक्टर (अ.सा. 7) ने मृतक (दशरथ) के शरीर पर केवल एक चोट का निशान पाया है, जिस पर टांके लगे हुए थे।

(II) किसी भी गवाह ने पुलिस के सामने यह नहीं कहा कि हल्ला सुनने के बाद, वे घटना स्थल पर गए और मृतक या घायल व्यक्तियों पर हमला होते देखा।

(III) मालती देवी (अ.सा. 2), अ.सा. 8 की पत्नी, को तब भी कोई चोट नहीं आई जबकि वह घटनास्थल पर मौजूद थी। महेश/सूचक/ अ.सा.1 को छोड़कर, अन्य सभी गवाहों से घटना के दो-तीन दिन बाद पूछताछ की गई। मालती देवी (अ.सा.2) से पुलिस ने नौ दिन बाद पूछताछ की।

(IV) उमेश (अ.सा.3) का दावा है कि उसने पहले कुछ अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन अपीलकर्ताओं के खिलाफ नहीं, जिसके निपटारे के लिए मामला हुआ था।

(V) अभियोजन पक्ष का मामला हालांकि यह है कि क्योंकि राजदेव दास

(अ.सा.9) ने मृतक को खेती के लिए अपनी जमीन दी थी, इसलिए आरोपी भजन दास, जो अ.सा.9 का भाई है, गुस्से में था और यही लड़ाई का कारण था।

(VI) मान लीजिए, अपीलकर्ताओं को विचाराधीन भूमि से कोई सरोकार नहीं था।

(VII) संतोष कुमार/आई.ओ./अ.सा. 8 ने उस भूमि के बारे में कभी जांच नहीं की जिसके लिए यह घटना हुई थी। उनके द्वारा कोई भी खून से सना मिट्टी या परिधान जब्त नहीं किया गया और रासायनिक जांच के लिए एफ. एस. एल. को भेजा गया।

(VIII) आई.ओ. (अ.सा. 13) को घटनास्थल पर हमले का कोई सबूत नहीं मिला, जबकि उसी स्थान पर दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनकी अंततः मृत्यु हो गई, और तीन अन्य को सामान्य चोटें आईं।

(IX) मृतक (दशरथ) को केवल एक पूर्व-शव परीक्षण चोट लगी थी, जबकि मृतक (दिनेश) को दो पूर्व-शव परीक्षण चोटें लगी थीं, जबकि अभियोजन पक्ष के लगातार मामले में कई अभियुक्त व्यक्तियों ने उन पर विभिन्न हथियारों से हमला किया था।

43. मामले के इन पहलुओं को अगर एक साथ देखा जाए, तो संदेह होता है कि क्या अ.सा. 11 ने अपने फर्दबयान में और मुकदमे के दौरान गवाहों ने सही बयान दिया था। ऐसा नहीं लगता कि जब इतने सारे लोग हमला करेंगे, तो दोनों मृतकों को क्रमशः केवल एक और दो चोटें ही आएंगी और तीन अन्य घायलों को साधारण चोटें आएंगी। इसके अलावा, जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, वह यह है कि दशरथ के शव का शव-परीक्षण बिना किसी देरी के किया गया। अभियोजन पक्ष का यह दावा नहीं

है कि दशरथ की जान बचाने के लिए उसे कोई चिकित्सीय सहायता दी गई। ऐसा कैसे हुआ कि घटना वाली रात 11.30 बजे किए गए शव-परीक्षण में डॉक्टर को एक सिल हुआ घाव मिला। यह निश्चित रूप से इस ओर इशारा करता है कि घटना प्राथमिकीमें बताए गए समय से पहले और अ.सा. 11 द्वारा बताए गए स्थान से कहीं और हुई थी। वरना जांच अधिकारी कैसे घटनास्थल पर खून या लड़ाई का कोई निशान नहीं मिला। अनुसंधान अधिकारी के लिए घटनास्थल पर खून का कोई निशान न होना ही काफी था, खासकर तब जब घटना में दो लोगों की मौत हो गई हो। इसके अलावा, उमेश (अ.सा. 3) के साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले को संदिग्ध बनाते हैं क्योंकि उनके अनुसार, घटना पीड़ितों द्वारा उनके द्वारा पहले दर्ज किए गए मामले को निपटाने से इनकार करने के कारण हुई, जो उन्होंने कुछ आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया था, लेकिन अपीलकर्ताओं के खिलाफ नहीं। प्राथमिकी में और मुकदमे के दौरान अ.सा. 11 सहित अन्य गवाहों द्वारा यह तर्क दिया गया कि विवाद राजदेव दास (अ.सा. 9) द्वारा मृतक और घायल व्यक्तियों को अपनी जमीन पर खेती करने की अनुमति देने के कारण उत्पन्न हुआ, जिससे उनके भाई भजन दास नाराज हो गए, जो शायद अपने भाई के लिए रैयत बनना चाहते थे।

44. हमारा मानना है कि आपराधिक मामले में मकसद पीछे हट जाता है, लेकिन एक बार मकसद सामने आने के बाद और गवाहों का विरोधाभासी रुख सामने आने के बाद, यह घटना की उत्पत्ति के बारे में संदेह पैदा करता है। लड़ाई किसके कहने पर और कब आरोपी व्यक्तियों के घर पर आने के लिए मृतक (दशरथ) को गाली देकर उकसाने की साजिश रची गई थी और अन्य आरोपी व्यक्ति कहाँ छिपे हुए थे, यह ज्ञात नहीं है। अधिकांश गवाह बिना हथियार के घटना स्थल पर पहुंचे।

45. इसलिए, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत कहानी में कई खामियाँ हैं। और इस

तरह के हमले में, मृतक और घायल व्यक्ति के शरीर पर लगी चोटें समझ से परे हैं। दूसरे मृतक (दिनेश) की कमर में कोई चोट नहीं थी, जिसके बारे में सुसंगत कथन यह है कि उसके अंडकोष में चोट लगी थी। क्या गवाह जाँच प्रतिवेदन देखने के बाद भी यही तर्क दे रहे थे, यही सवाल हमारे सामने है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अनुसंधान अधिकारी को अपीलकर्ताओं के खिलाफ पहले कोई स्वतंत्र आरोप नहीं मिला; उनमें से एक वृद्ध है और दूसरा किसी न किसी तरह पीड़ितों से संबंधित है।

46. पूर्व-उल्लिखित कारणों से, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष मामले को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में सक्षम नहीं है।

47. हम फिर से थोड़ा आश्चर्यचकित हैं कि इस तरह के लड़खड़ाने वाले साक्ष्य पर, विचारण न्यायालय अपीलकर्ताओं के शेष जीवन के लिए सजा कैसे दे सकती है।

48. सजा के मुद्दे पर विचारण न्यायालय द्वारा की गई चर्चाओं से हम पाते हैं कि उन्होंने इस मामले को दोहरी हत्या का होने पर स्पष्ट रूप से कहा है। सजा सुनाते समय, विचारण न्यायालय ने कहा है कि अपीलकर्ताओं द्वारा किसी भी शमनकारी परिस्थिति का संकेत देने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। यदि ऐसा था, तो विचारण न्यायालय को राज्य से "उत्तेजक और कम करने वाली" परिस्थितियों का आकलन करने और उनके बीच संतुलन बनाने के लिए सामग्री के लिए पूछना चाहिए था, विशेष रूप से जब वह अपीलकर्ताओं के शेष जीवन के लिए सजा देने के लिए आगे बढ़ा था।

49. इस संबंध में कानून को स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

50. **बचन सिंह बनाम भारत संघ; 1980 (2) एससीसी 684** में, अपीलकर्ता को मृत्युदंड की सजा बरकरार रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दिष्ट किया था कि

मृत्युदंड "दुर्लभतम" मामलों में दिया जाना चाहिए।

51. तीन साल बाद, *मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य; 1983 (3) एससीसी 470*

में सर्वोच्च न्यायालय ने "गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों" का एक बैलेंसशीट बनाने की आवश्यकता के बारे में बात की और यह भी कहा कि कम करने वाली परिस्थितियों को भी पूरा महत्व दिया जाना चाहिए। दंड देने से पहले "गंभीर और कम करने वाली" परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के लिए एक दो-आयामी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, अर्थात् विचारण न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि क्या विचाराधीन अपराध में कुछ ऐसा असामान्य है जिसके कारण आजीवन कारावास की सजा अपर्याप्त हो गई है और मृत्युदंड दिया जाना चाहिए और क्या अपराध और मामले की परिस्थितियों के अनुसार और आरोपी के पक्ष में काम करने वाली परिस्थितियों को अधिकतम महत्व देते हुए, मृत्युदंड से कम कुछ भी उचित नहीं होगा।

52. अपराधियों को सजा देने में उक्त सिद्धांत से अतीत में कई विचलन हुए हैं।

53. तथापि, *संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार बनाम महाराष्ट्र राज्य; (2009) 6*

एस. सी. सी. 498 में, सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से स्पष्ट किया और यह तय करने के लिए दो-चरणीय प्रक्रिया का प्रस्ताव रखा कि क्या कोई दोषी मौत की सजा का हकदार है। मौत की सजा दिए जाने के लिए, मामले को "दुर्लभतम से दुर्लभतम" श्रेणी में आना था और दूसरा, अपराध की गंभीरता के खिलाफ आजीवन कारावास के विकल्प को अनुचित माना जाना था। मामले को "दुर्लभतम से दुर्लभतम" श्रेणी का निर्णय लेते समय, अदालत को दोनों शर्तों को समान महत्व देते हुए उत्तेजक और कम करने वाली परिस्थितियों की पहचान करने की आवश्यकता होगी और यह भी निर्णय लेना होगा कि आजीवन कारावास उचित सजा नहीं है, लेकिन यह तभी किया जा सकता है जब यह

पाया जाए कि अपराधी का सुधार संभव/व्यवहार्य नहीं था। इसलिए, ऐसी परिस्थितियों में, राज्य का यह दायित्व होगा कि वह इस सुझाव का समर्थन करने के लिए सामग्री उपलब्ध कराए कि उस स्थिति में केवल मृत्युदंड ही उचित होगा।

54. लगभग पाँच साल बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने **शंकर किशनराव खांडे बनाम महाराष्ट्र राज्य; 2013 (5) एससीसी 546** में विचारण न्यायालयों को और आगाह किया कि सज़ा सुनाने से पहले अपराध और अपराधी दोनों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि बिना किसी कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार किए और दोषी के सुधार की संभावना से संबंधित सामग्री का हवाला दिए बिना, तुरंत सज़ा नहीं सुनाई जानी चाहिए।

55. यहाँ यह बताना प्रासंगिक होगा कि **स्वामी श्रद्धानंद @ मुरली मनोहर मिश्रा बनाम कर्नाटक राज्य; (2008) 13 एससीसी 767**, सर्वोच्च न्यायालय ने **गोपाल विनायक गोडसे बनाम महाराष्ट्र राज्य; (1961) 3 एससीआर 440**, **दलबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य; (1979) 3 एससीसी 745**, **सुभाष चंद्र बनाम कृष्ण लाल; (2001) 4 एससीसी 458**, **श्री भगवान बनाम राजस्थान राज्य; (2001) 6 एससीसी 29**, **मध्य प्रदेश राज्य बनाम रतन सिंह; (1976) 3 एससीसी 470** और कई अन्य मामलों में, यह माना गया कि अपराध की गंभीरता और अपराध को अंजाम देने के तरीके के आधार पर, अपराधी को शेष जीवन या बिना किसी छूट के किसी निश्चित अवधि के लिए सजा देना उचित होगा और कानून के दायरे में होगा। मानसिक भ्रष्टता को दर्शाने वाले मामले में, आजीवन कारावास की सजा जो सभी उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए 14 वर्ष से अधिक नहीं होगी, पीड़ित के साथ अत्यधिक अन्यायपूर्ण होगी। यह उपाय, अर्थात्, शेष जीवन के लिए या 14 वर्ष से अधिक की निश्चित अवधि के लिए कारावास का निर्देश देना और बिना किसी छूट के, लेकिन यह तभी लिया जा सकता है जब 14

वर्ष की कारावास की सजा के अन्य वैकल्पिक दंड का अर्थ कोई सजा नहीं हो।

56. इस प्रस्ताव पर **भारत संघ बनाम वी. श्रीहरन उर्फ मुरुगन एवं अन्य (2016)**

7 एससीसी 1 मामले में सवाल उठाया गया था, जिसमें संविधान पीठ ने **स्वामी श्रद्धानंद** (उपरोक्त) मामले में दिए गए इस तर्क को बरकरार रखा था कि 14 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए मृत्युदंड के बजाय विशेष श्रेणी की सजा देना और ऐसी श्रेणी की सजा को छूट के दायरे से बाहर रखना। ऐसा करते समय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **संगीत एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य; 2013 (2) एससीसी 452** मामले में व्यक्त किया गया यह विचार कि 20 या 25 वर्ष की सजा या बिना किसी छूट के सजा देकर उपयुक्त सरकार की छूट शक्ति से वंचित करना अनुमेय नहीं है और कानून के अनुरूप है, को विशेष रूप से खारिज कर दिया गया था।

57. हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष या निश्चित अवधि की सजा देने के विकल्प का प्रयोग करने की शक्ति अपने और उच्च न्यायालयों के पास बरकरार रखी, न कि विचारण न्यायालयों के पास।

58. **विकास चौधरी बनाम दिल्ली राज्य; (2023) एससीसी ऑनलाइन एससी 472**

में, सर्वोच्च न्यायालय ने सभी निर्णयों का क्रमवार विश्लेषण किया और पाया कि विशेष या निश्चित अवधि की जा की अवधारणा, जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा संवैधानिक न्यायालयों के रूप में दी जा सकती है, कई उद्देश्यों की पूर्ति करती है, जो इस प्रकार हैं:-

“(क) राजधानी मामलों में एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में जहां न्यायालय की राय थी कि मृत्युदंड अनुचित है, और:

(ख) न्यायालय का यह मत था कि अपराध और/या अपराधी के आचरण में ऐसे तत्व थे जिनके लिए दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित

न्यूनतम 14 वर्ष से अधिक की अनिवार्य सजा देना आवश्यक था।

जहाँ न्यायालय ने स्वतंत्र रूप से महसूस किया कि अपराध की गंभीर प्रकृति और उसके किए जाने के तरीके के लिए विशेष सजा की आवश्यकता थी, जिससे अपराधी को रिहा करने में राज्य के विवेकाधिकार को सीमित किया जाना चाहिए ताकि दोषी को एक निश्चित संख्या में वर्षों की कैद से पहले रिहा न किया जा सके।”

59. जिस तरह से साक्ष्य का विश्लेषण किया गया है और सजा दी गई है, हमें ऐसा लगता है कि विचारण न्यायालय ने मामले के बारे में विकृत दृष्टिकोण अपनाया है और इसलिए, दोषसिद्धि और सजा का निर्णय और आदेश कानून की नजर में बनाए रखने के लिए उपयुक्त नहीं हैं।
60. पूर्व-उल्लिखित कारणों से, हम दोनों अपीलों की अनुमति देते हैं; दोनों अपीलकर्ताओं के खिलाफ निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश को दरकिनार कर दें और उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दें।
61. हमें बताया गया है कि दोनों अपीलकर्ता हिरासत में हैं। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक/हिरासत में नहीं है तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा कर दिया जाए।
62. इस मामले के अभिलेखों को विचारण न्यायालय को वापस किया जाए और संबंधित जेल के अधीक्षक को अभिलेख और अनुपालन के लिए इस न्यायालय के निर्णय के बारे में सूचित किया जाए।
63. इस मामले के निपटारे से पहले, हम विद्वान न्यायमित्र श्री प्रतीक मिश्रा द्वारा प्रदान की गई सक्षम सहायता के लिए अपनी सराहना दर्ज करते हैं।

64. पटना उच्च न्यायालय, विधिक सेवा समिति को निर्देश दिया जाता है कि वह श्री प्रतीक मिश्रा, वर्तमान अपील में अधिवक्ता मित्र को उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए समेकित शुल्क के रूप में 5,000/- रुपये का भुगतान करें।

(आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति)

(हरीश कुमार, न्यायमूर्ति)

सुनीलकु./-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।